



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY RAIPUR

(INSTITUTE OF NATIONAL IMPORTANCE)
G.E. Road, Raipur (C.G.) 492010

Phone No.: 0771-2254200, Fax : 0771-2254600, Email : director@nitrr.ac.in, Web : www.nitrr.ac.in

क्रमांक/रा.प्रौ.सं.रा.रा./स्था.अराज./2023/-2606

रायपुर, दिनांक 14/03/2023

सूचना

इस संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2022-23 (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) के लिए शिशु शिक्षा भत्ता हेतु आवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से दिनांक 01 अप्रैल 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक अनिवार्य रूप से निम्नांकित निर्देशों का पालन करते हुए प्रस्तुत करें :

- 1- शिशु शिक्षा भत्ता हेतु शिशु के अध्ययनरत स्कूल/संस्था से निर्धारित प्रपत्र फार्म - II में प्रमाणपत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करें। (निर्धारित प्रपत्र फार्म - II एम.आई.एस. से अपने लॉग-इन पर प्राप्त कर सकते हैं।)
- 2- यदि ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सके तो रिपोर्टकार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति या स्व-प्रमाणित शुल्क रसीद (ई-रसीद सहित) शैक्षणिक वर्ष में जमा की गई समस्त शुल्क की रसीद की पुष्टि/इंगित करते हुए सीईए का दावा करने के लिए संदर्भित दस्तावेज के साथ में प्रस्तुत की जा सकती है।
- 3- शिशु शिक्षा भत्ता प्रथम दो संतानों के लिए स्वीकार्य है। (द्वितीय संतान जुड़वा होने पर तीन संतानों की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी।)
- 4- शिशु शिक्षा भत्ता हेतु आवेदन एम.आई.एस. से भरने के उपरान्त प्रिंट कापी के साथ संदर्भित दस्तावेज सहित आवेदन निर्धारित समय सीमा में आवक/जावक शाखा में जमा करावें।
- 5- शिशु शिक्षा भत्ता कक्षा - एक से पहले कोई भी दो कक्षा (जैसे प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG-I, KG-II, PP-I, PP-II आदि) कक्षा के नाम को ध्यान न देते हुए प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 6- दिव्यांग बच्चों के लिए ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य बच्चों के मामले में आयु सीमा 20 वर्ष अथवा 12वीं श्रेणी उत्तीर्ण करने का समय, जो भी पहले हो, तक रहेगी। कोई न्यूनतम आयु नहीं होगी।
- 7- सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए संतान शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति साधारण दरों से दोगुनी दर से की जायेगी।
- 8- अशक्तता का अर्थ है, किसी व्यक्ति में, कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-18/97-एनआई. दिनांक 01.06.2001 (अनुबंध) में यथा परिभाषित अक्षमता की न्यूनतम प्रतिशतता 40 हो।

संयुक्त कुलसचिव

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि : 1- निदेशक, रा.प्रौ.सं. रायपुर (छ.ग.)

2- कुलसचिव, रा.प्रौ.सं. रायपुर (छ.ग.)

3- समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/शाखा प्रभारी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर को सूचनार्थ एवं अधिनस्थ कर्मचारियों को सूचित कियो जाने हेतु

4- समस्त नोटिस बोर्ड।

5- एमआईएस शाखा सूचना प्रसारण एवं कार्यवाही हेतु।

BONAFIDE CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION/SCHOOL

This is to certify that Master/Baby/Mr./ Miss _____
Son/daughter of Shri/Smt _____ Roll No. _____
Admission No. _____ is a bonafide student of this school and studied in
Class _____ during the academic year _____ and as per School records
his/her date of birth is _____.

**This is further certified that during the year Master/Baby/Mr./Miss
_____ had resided in the residential complex (Hostel)
of the school and paid an amount of Rs. _____ towards boarding and
lodging in the residential complex.

This Institution/School is affiliated to/ recognized by _____
vide affiliation/recognition Number _____.

Dated: _____

Place: _____

Signature: _____
Head of the Institution/School
(with Stamp and Seal)

** (Strike out it if not applicable)